International Journal of Applied Research 2018; 4(5): 413-416

ISSN Print: 2394-7500
ISSN Online: 2394-5869
Impact Factor: 5.2
IJAR 2018; 4(5): 413-416
www.allresearchjournal.com
Received: 11-03-2018
Accepted: 15-04-2018

डॉ. मनोज कुमार
सह–प्राध्यापक अध्यक्ष, दर्शनशास्त्र विभाग, जी. बी. कॉलेज, तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर, बिहार भारत

Corresponding Author:
डॉ. मनोज कुमार
सह–प्राध्यापक अध्यक्ष, दर्शनशास्त्र विभाग, जी. बी. कॉलेज, तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर, बिहार भारत

भारतीय लोकतंत्र की समस्या एवं सुधार के लिए सुझाव

डॉ. मनोज कुमार

सारांश
लोकतंत्र, जिसका शाब्दिक अर्थ है "लोगों द्वारा शासन", व्यक्तियों को अपनी सरकार के रूप और कार्यों पर राजनीतिक नियंत्रण करने का अधिकार देता है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है जहाँ पिछले 7 दशकों से भी अधिक समय से लोकतंत्र कार्य कर रहा है, यह बात कुछ हद तक ठीक है | लेकिन आधुनिक भारत में इसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, | इन चुनौतियों में शामिल है - सामाजिक और आर्थिक असमानताएँ, गरीबी और बेरोजगारी, अशिक्षा और अज्ञानता, जातिवाद, साम्प्रदायिकता, जनसंख्या विस्फोट, क्षेत्रवाद, भ्रष्टाचार और आतंकवाद आदि।

कूटशब्द: लोकतंत्र, गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, जातिवाद, साम्प्रदायिकता, जनसंख्या विस्फोट

प्रस्तावना
इस लेख में भारत में मौजूदा लोकतांत्रिक व्यवस्था को शशक्त और पारदर्शी बनाने एवं इसके लिए आवश्यक सुधारो के अध्ययन और विश्लेषण का प्रयास किया गया है ।

भारतीय लोकतंत्र में सुधार के लिए नए प्रस्ताव विकसित करने की जरूरत है। कानून से राजनीतिक सुधार और गलत प्रथाओं को रोकने और अच्छी प्रथाओं को प्रोत्साहित करने में मदद मिल सकती है लेकिन केवल कानूनी बदलावों से मदद नहीं मिल सकती जैसा कि कानूनों में बदलाव से कभी-कभी साबित हुआ है | अत: सर्वोत्तम कानून लोगों को लोकतांत्रिक सुधार करने के लिए सशक्त बनाते हैं जैसे सूचना का अधिकार अधिनियम, यह सबसे अच्छा उदाहरण है जो लोकतांत्रिक सिद्धांतों के दुरुपयोग के खिलाफ निगरानी का काम करता है। लोकतंत्र में जागरूक नागरिक कुछ उपायों द्वारा संभावित चुनातियों का सामना कर सकते है जैसे लोगो को शिक्षित करना, कतांत्रिक अधिकारों के बारे में जनता को जागरूक करना, मौलिक अधिकारों की बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित करना और प्रेस की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना आदि।

लोकतंत्र का अर्थ है "लोगों द्वारा शासन," लोकतंत्र सरकार की एक प्रणाली है जो न केवल अनुमति देती है बल्कि राजनीतिक प्रक्रिया में लोगों की भागीदारी को भी सुनिश्चित करती है। अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने अपने प्रसिद्ध 1863 के गेटिसबर्ग संबोधन में लोकतंत्र को लोगों की, लोगों द्वारा, लोगों के लिए"सरकार कहा था | लेकिन आधुनिक भारत में इसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है ।

इन चुनौतियों में - अत्यधिक जनसंख्या, गरीबी, अमीर और गरीब के बीच भारी अंतर, भ्रष्टाचार, शिक्षा का अधिकार, सांप्रदायिक हिंसा, आतंकवाद, नक्सलवाद, जाति संबंधी हिंसा, कानून और व्यवस्था, आर्थिक सुधार, सुशासन, मतदान प्रतिशत, पड़ोसी देशों के साथ संबंध, राजनयिक मुद्दे, मानवाधिकारों की सुरक्षा, महिलाओं और बच्चों के अधिकार और विकास का अधिकार |
इसके लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का कार्यान्वयन, स्वतंत्रता की सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण, आदि की आवश्यकता है । इसके लिए भारत को नए कानूनी, राजनीतिक और सामाजिक विकास की आवश्यकता है | इसके लिए अच्छे कानूनों के साथ साथ, राजनीतिक सत्ता पक्ष और विपक्ष को मिलकर साथ काम करना होगा |

अध्ययन के उद्देश्य

- भारत में मौजूदा लोकतांत्रिक व्यवस्था का अध्ययन और विश्लेषण करना।
- भारतीयों के सामने आने वाली विभिन्न चुनौतियों का अध्ययन और विश्लेषण करना |
- चुनौतियों का प्रभावी ढंग से सामना करने और नागरिको को अपनी सच्ची भावना से भारतीय लोकतंत्र को मजबूत करने में मदद करने का उपाए सुझाना

लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था की संरचना और भारतीय राजनीति में इसकी स्थिति

हमने प्रतिनिधि संसदीय लोकतंत्र की प्रणाली अपनाई है। सच्चे लोकतंत्र का मूल आधार यह है कि हर व्यक्ति चाहे उसकी जाति, धर्म, रंग या लिंग कुछ भी हो उसे शैक्षणिक, आर्थिक, राजनितिक आदि विकाश का उचित अवसर मिले | लेकिन आज भी भारत जैसे विशाल देश में सबो को यह अवसर नहीं मिल पा रहा है, इसका मूल कारण अशिक्षा,बड़ी आबादी,नैतिक पतन, निजी स्वार्थ, क्षेत्रीय, भाषायिक एवं साम्प्रदाईक वैमनष्य, भ्रस्टाचार,जातिगत संगर्ष आदि है
यद्यपि प्राचीन यूनानी नगर-राज्यों में और भारत में भी वैदिक काल के दौरान लोग शासन के मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए स्वयं एकत्रित होते थे। लेकिन आज अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि के कारण, यह प्रणाली लगभग विलुप्त हो गई | लेकिन आज संसदीय प्रणाली में लोग अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से देश पर शासन करते हैं

संसद के कार्य

आज संसद केवल कानून बनाने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि वह अनेक कार्य कर रही है जो इस प्रकार हैं:
क) राजनीतिक और वित्तीय भूमिका
ख) प्रशासनिक कार्य का पर्यवेक्षण करना
ग) सूचना के अधिकार की गारंटी के माध्यम से पारदर्शिता बनाए रखना।
घ) शैक्षिक और सलाहकार भूमिका
ई) संघर्ष को हल करना और राष्ट्रीय एकता को संरक्षित करना।
च) कानून बनाना और सामाजिक विकास।
छ) समाज में परिवर्तन के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए संविधान में संशोधन।
ज) समग्र नेतृत्व भूमिका।

भारत में राजनीतिक दल और उनकी भूमिकाएँ:

भारतीय राजनीतिक इतिहास में, लगभग साठ वर्षों तक इसका नेतृत्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) पार्टी ने किया | कुछ क्षेत्रीय पार्टियाँ भी हैं जो अपने - अपने राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। फिर कुछ वर्षों के बाद गठबंधन पार्टियों का युग आया | ऐसी स्थिति में यदि किसी एक दल को चुनाव में पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं होने पर अनेक दलों ने मिलकर गठबन्धन सरकार बनाकर शासन किया | उदाहरणार्थ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) और संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) जैसे गठबंधन उभर कर आए | परिणामतः वर्तमान भारतीय राजनैतिक व्यवस्था में राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर की कई पार्टियाँ है जो लोगो का प्रतिनिधित्व कर रही है, और अलग अलग राज्यों में साशन कर रही है।

भारतीय लोकतंत्र में मुद्दे:

भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए जो मुद्दे बड़ी चुनौती पेश कर रहे हैं उनमें शामिल हैं:-

- **अधिक जनसंख्या:** भारत की जनसंख्या अनुमानित रूप से 1.30 अरब तक पहुंच गई है यह सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है जिसने हमारी संभावित प्रगति में बाधा उत्पन्न की है | भारत सरकार जो पहले से ही चुनौतियों का सामना कर रही है विभिन्न दृष्टिकोणों से जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने में विफल रही है।
- **गरीबी:** यद्यपि भारत एक आर्थिक महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर है, फिर भी गरीबी से निपटने की दिशा में उतनी ही बड़ी चुनौतियां है | 2005 के आंकड़ों के आधार पर गरीबी पर बैंक का अनुमान, भारत में 456 मिलियन लोग हैं| यानी इसकी 41.6% आबादी 1.25 डॉलर प्रति दिन की नई

अंतरराष्ट्रीय गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही है । भारत में गरीब जनसंख्या का प्रमुख कारण यहाँ धन का असमान वितरण है 10% आय समूह 33% आय अर्जित करते हैं।

- **स्वच्छता:** संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल संघ द्वारा संचालित आँकड़े आपातकालीन निधि (यूनिसेफ) ने दिखाया है कि भारत की केवल 31% आबादी ही उचित स्वच्छता सुविधाओं का उपयोग करने के लिए सक्षम है । यूनिसेफ के अध्ययनों से यह भी पता चला है कि खराब स्वच्छता से उत्पन्न होने वाली बीमारियाँ बच्चों की संज्ञानात्मक क्षमता को प्रभावित करती हैं ।
- **भ्रष्टाचार:** भारत में भ्रष्टाचार व्यापक है। भारत ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में 179 में से 95वें स्थान पर है लेकिन इसका स्कोर 2002 में 2.7 से लगातार सुधार होकर 2011 में 3.1 हो गया है। भारत में भ्रष्टाचार रिश्वत, कर चोरी, विनिमय नियंत्रण, गबन आदि के रूप में विद्यमान है | सूचना अधिनियम, 2005 ने विभिन्न घोटालों को उजागर करने में प्रमुख भूमिका निभाई है राजनीति से प्रेरित. भ्रष्टाचार राष्ट्र के प्रगति में बाधक है ।
- **शिक्षा:** आज़ादी के बाद से शिक्षा भारत सरकार की प्राथमिकताओं में से एक बनी हुई है। हालांकि सरकार की ओर से भारत में अधिकतम साक्षरता सुनिश्चित करने के लिए, कई पहल की गई हैं फिर भी, शिक्षा के क्षेत्र में काफी विकाश करने कि आवश्यकता है।
- **हिंसा:** संवैधानिक रूप से, भारत को धर्मनिरपेक्ष माना जाता है, लेकिन बड़े पैमाने पर आज़ादी के बाद से समय-समय पर हिंसा होती रही है। हाल के दशकों में, सांप्रदायिक तनाव और धर्म-आधारित राजनीति अधिक प्रमुख हो गई हैं।
- **आतंकवाद:** जिन क्षेत्रों में बहुत अधिक आतंकवादी गतिविधियाँ होती हैं वे हैं जम्मू और कश्मीर, मध्य भारत के राज्य, सेवन सिस्टर स्टेट्स और पंजाब। भारत में आतंकवाद अक्सर पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित होने का आरोप लगाया जाता है।
- **नक्सलवाद:** भारतीय कम्युनिस्ट आंदोलन का एक हिस्सा है जो चीन और सोवियत संघ से प्रभावित है। यह नक्सलवाद हिंसक तरीके से अपनी शर्ते मनवाने में यक़ीन रखता है। भारत में पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश इस नक्सलवाद से प्रभावित है।
- **खराब मतदान प्रतिशत:** भारत में मतदान करना लोगों का अनिवार्य कर्तव्य नहीं है, इसलिए बड़ी संख्या में लोग अपने इस अधिकार का प्रयोग नहीं करते है इससे कम वोट प्रतिशत के बावजूद राजनितिक दल सरकार बनाने में सफल हो जाते है। और बड़ी संख्या में लोग सरकार से अलग-थलग रह जाते है और सरकार मनमाने तरीके से शाशन करती है।

भारतीय लोकतंत्र की समस्याए

स्वतंत्रता प्राप्ति के तुरंत बाद, 26 जनवरी 1950 को लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में भारत में नया संविधान लागू हुआ । यह वास्तव में एक सराहनीय उपलब्धि थी। इस संविधान के द्वारा एक मजबूत कानूनी प्रणाली और एक काफी मजबूत लोकतंत्र के आधार की स्थापना हुई। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित हो चुकी है और इसे भारतीय राजनीतिक जीवन के अपरिहार्य अंग के रूप में स्वीकार किया गया है। किन्तु व्यावहारिक रूप में इसमें अनेक तरह कि का कमियाँ दिखाई पड़ती है। अशिक्षित और गरीब जनता अनेक तरह के लालच और दवाब में अयोग्य जनप्रतिनिधियों का चुनाव करने को विवश हो जाती है। अयोग्य जनप्रतिनिधि अनेक तरह के भ्रस्टाचार गैर कानूनी कृत्य करते है और जनता उनके शोषण का शिकार बनती है |

सुझाव

- मतदाताओं को राजनीतिक चेतना का ज्ञान दिया जाना चाहिए। उन्हें अपने अधिकारों और विशेषाधिकारों के बारे में पूरी तरह से जागरूक किया जाना चाहिए, इसके लिए सम्मेलनों, सेमिनारों, कार्यशालाओं, संगोष्ठियों जैसे कार्यक्रमों का आयोजन वगैरह किया जाना चाहिए ।
- भारत की अशिक्षित जनता को उचित शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए ताकि वे सक्षम हो सकें समझदारी से सही नेताओं को वोट दें। संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी और जापान जैसे सफल लोकतांत्रिक देशों ने हर क्षेत्र में प्रगति की क्योंकि जनता शिक्षित है.
- ओपिनियन पोल पर पूर्ण प्रतिबंध होना चाहिए क्योंकि इनका आधार वैज्ञानिक नहीं है ।
- मीडिया को भी सच्चे तथ्य सामने लाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए ।
- राजनेताओं को भी अपनी भूमिका निभाते हुए लोकतंत्र की सच्ची भावना का सम्मान करना चाहिए स्वामी के रूप में नहीं बल्कि सेवक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए । उन्हें भ्रष्टाचार,

जाति और सांप्रदायिक राजनीति से परहेज करना चाहिए ।

- नागरिकों को अच्छे नैतिक मूल्यों वाले और ईमानदार वाले नेताओं का चुनाव करना चाहिए।
- लोकतंत्र के लिए नागरिको को चरित्रवान, तर्कसंगत आचरण करने वाला और सार्वजनिक मामलों कि बुद्धिमान समझ रखने वाला होना चाहिए।
- राज्य की नीतियों के निदेशक सिद्धांतों को आवश्यक रूप से न्यायोचित बनाया जाना चाहिए |
- लोगों को सांप्रदायिकता, अलगाववाद, जातिवाद, आतंकवाद आदि की अनुमति नहीं देनी चाहिए उनके सिर उठाओ. वे लोकतंत्र के लिए ख़तरा हैं।
- सरकार, एनजीओ और लोगों को मिलकर सामूहिक रूप से राष्ट्र का आर्थिक विकास करना चाहिए।
- परिवर्तन शांतिपूर्ण, लोकतांत्रिक और संवैधानिक तरीकों से आना चाहिए। आज के प्रतिभाशाली युवाओं को राजनीतिक रूप से शिक्षित किया जाना चाहिए ताकि वे ऐसा कर भविष्य के प्रभावी नेता बन सकें।
- विधायिका और न्यायपालिका को इस बात पर नज़र रखनी चाहिए कि आसपास क्या हो रहा है, और हमारे चारों ओर बदलती दुनिया के साथ तालमेल बैठना चाहिए ।
- अंततः, यह निर्वाचित प्रतिनिधियों का कर्तव्य है, चाहे वे सत्तारूढ़ हों या विरोधी हों उन्हें निरर्थक आरोप-प्रत्यारोप, और अशोभनीय आचरण से बचना चाहिए |

निष्कर्ष:

वैसे तो भारत दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्रों में से एक होने का दावा करता है, लेकिन हकीकत यह है कि यहाँ विभिन्न तरह की चुनौतियाँ हैं जो सच्चे कामकाज में बाधा उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार है। किन्तु उपर्युक्त सुझावों पर अमल किया जाए तो भारत में लोकतंत्र अधिक शशक्त, पारदर्शी एवं लोक कल्याणकारी हो सकता है। ऐसा लोकतंत्र भारत की जनता के हितो की रक्षा करने में सक्षम तो होगा ही अपितु भारत के समुन्नत और विकसित राष्ट्र बनने का मार्ग भी प्रसस्त करेगा।

संदर्भ

1. बख्शी पी.एम., 1999, चयनात्मक टिप्पणियों के साथ भारत का संविधान, सार्वभौमिक लॉ पब्लिशिंग कंपनी प्रा. लिमिटेड
2. फाउलर एफ.जी. और फाउलर एच.डब्ल्यू., 1977, द ऑक्सफ़ोर्ड हैंड डिक्शनरी, प्रथम संस्करण, चांसलर प्रेस.
3. भारतीय मानवाधिकार कानून समीक्षा, खंड 1, क्रमांक 1, जून 2010।
4. जर्नल ऑफ़ द इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट, खंड 55, संख्या 1, जनवरी-मार्च 2013 अंक, नयी दिल्ली।
5. कश्यप सुभाष, 2008, अवर पार्लियामेंट, नेशनल बुक ट्रस्ट, इंडिया, न्यू दिल्ली।
6. कृष्णप्पा एम. पी., भ्रष्टाचार मिटाओ और देश बचाओ, 2012, बैंगलोर।
7. वकील अपडेट, खंड XIX, भाग 11, नवंबर 2013।
8. वकील अपडेट, खंड XIX, भाग 12, दिसंबर 2013।
9. माने सुरेश, 2011, द ग्लोबल लॉ, खंड 1, आरती एंड कंपनी, मुंबई।
10. पांडे जे.एन., 2000, भारत का संवैधानिक कानून, 35वां संस्करण, केंद्रीय कानून एजेंसी,इलाहाबाद।
11. प्रधान वी.पी., भारत का संविधान, लोकपाल प्रकाशन गृह, नया दिल्ली।